

FORM NO. III

2023/229

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़

मुकाम

श्री शिरोर

बनाम

श्रीमदू

किस्म मुकद्दमा

श्री. पं 128

नं.

168/2023

सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/6/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा..... निक्षेम..... की ग्राम..... की आ.न. 1099, 1100, 1101, 1102, 1329, 977 की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजुदगी में की जावे।</p> <p>प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रुपये 2500/- वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।</p> <p>पत्रावली में हुक्मनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p> <p>नम्बर-09 रकम 2500/-</p>

उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी

